अध्याय 5
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

अध्याय 5
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (रा.सा.स.का.), भारत सरकार के इस कार्यक्रम का उद्देश्य निराश्रित लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने भी उन पात्र लाभार्थियों को कवर करने के लिए केंद्रीय पेंशन योजनाओं के समान पेंशन योजनायें लागू की है, जो भारत सरकार की पेंशन योजनाओं के तहत शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, झा.स. ने राज्य की आदिम जनजातियों के लिए एक पेंशन योजना (जुलाई 2015) भी शुरू की। डी.बी.टी. कार्यान्वयन के संदर्भ में, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के उपलब्धियों का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा ने 2400 केंद्रीय/राज्य पेंशन आवेदनों की जाँच की (प्रत्येक चयनित 12 प्रखंडों में 200 आवेदन)। इस अध्याय की प्रमुख लेखापरीक्षा टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:-

- राज्य ने संभावित लाभार्थियों की पहचान के संबंध में ग्राम पंचायतों/नगर पालिकाओं को कोई निर्देश जारी नहीं किया था। इस प्रकार, सार्वभौमिक आच्छादन के लिए जिला/राज्य स्तर पर पात्र लाभार्थियों का डाटा बेस तैयार नहीं किया गया था।
- 816 पेंशन आवेदनों की स्वीकृति में आवेदनों की प्राप्ति और अनुशंसा की तिथि से चार से 864 दिनों के बीच की देरी हुई थी। इसके अलावा लाभार्थियों को मासिक आधार पर पेंशन का संवितरण नहीं किया गया जैसा कि होना था, क्योंकि संवितरण में एक से चार माह का विलम्ब लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया था।
- सितंबर 2019 में स्वीकृति प्राधिकारी में परिवर्तन के कारण वर्ष 2019-20 के लाभार्थियों के 5078 आवेदन स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े रहे।
- मृत्यु की सूचना देने में देरी के कारण 84 लाभार्थियों के नाम या तो बाहर नहीं किए गए या 65 महीने (जुलाई 2021 तक) तक की देरी से बाहर किए गए, जिसके परिणामस्वरूप मृत व्यक्तियों को ₹ 8.50 लाख की पेंशन राशि का वितरण हुआ। संबंधित अधिकारी ने इस राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।
- विधवा पेंशन योजनाओं अर्थात इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और राज्य विधवा सम्मान प्रोत्साहन योजना के तहत 16 पुरुष लाभार्थियों को ₹ 9.54 लाख की पेंशन वितरित की गई।
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 55 लाभार्थियों को ₹ 31.69 लाख की पेंशन की भुगतान की गई, जबकि वे न्यूनतम आयु मानदंड को पूरा नहीं करते थे।
- दिशा-निर्देश के तहत निर्धारित राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन नहीं किया गया था।

• नमूना जाँचित किसी भी जिले में एन.एस.ए.पी. योजनाओं से संबंधित कोई सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

निष्कर्ष

सार्वभौमिक कवरेज के लिए जिला/राज्य स्तर पर पात्र लाभार्थियों का डाटाबेस नहीं रखा गया था। संभावित लाभार्थियों के पूर्ण डाटा के अभाव में, विभाग पात्र लाभार्थियों की पूर्ण संख्या से अनभिज्ञ था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकृत नहीं की गई थी क्योंकि नमूना जाँचित 2400 आवेदनों में से 816 आवेदनों (34 प्रतिशत) में अनुमोदन में 864 दिनों तक के विलम्ब के मामले देखे गए थे। एक मामले में आवेदन की स्वीकृति में 1399 दिनों का भी विलंब हुआ। इसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों के बीच पेंशन के वितरण में देरी हुई जिससे आवेदकों को कठिनाई हो सकती है और नए लाभार्थियों को शामिल करने की गति में बाधा आ सकती है। इसके अलावा, मासिक आधार पर पेंशन का संवितरण न होने के कारण लाभार्थियों को मासिक भरण-पोषण के लिए आय सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाया क्योंकि लेखापरीक्षा ने पेंशन भुगतान में आवंटन की प्राप्ति में देरी के कारण पेंशन के वितरण में एक से चार महीने तक की देरी देखी। इसके अलावा, योजनाओं की निगरानी तदर्थ तरीके से की जा रही थी क्योंकि राज्य और जिला स्तर पर आवश्यक निगरानी समितियों का गठन नहीं किया गया था। वर्ष 2017-21 के दौरान योजना का सामाजिक अंकेक्षण भी नहीं कराया गया, जिसके कारण शासन के निचले स्तर पर योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन नहीं हो सका।

5.1 परिचय

निराश्रितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार (भा.स) द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (रा.सा.स.का.) शुरू (अगस्त 1995) किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और कमजोर समूह जैसे विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को कवर करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार (2007/2009) किया गया था। एन.एस.ए.पी. के घटकों के रूप में पाँच उप-योजनाओं में से तीन पेंशन योजनाएँ हैं (i) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.), (ii) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.), और (iii) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आई.जी.एन.डी.पी.एस.)। अन्य दो उप-योजनाएँ हैं (i) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एन.एफ़.बी.एस.) - कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में शोक संतप्त परिवार को एक बार सहायता और (ii) अन्नपूर्णा योजना - उन पात्र वृद्ध व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा जो आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस. के तहत शामिल नहीं हैं।

झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने भी समान प्रकृति की चार पेंशन योजनाओं को लागू किया है। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (एम.एम.एस.ओ.ए.पी.वाई.),

मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना (एम.एम.आर.वि.एस.पी.वाई.), स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना (एस.वि.एन.एस.पी.वाई.)। उन पात्र लाभार्थियों को कवर करने के लिए जो भारत सरकार की पेंशन योजनाओं के तहत कवर नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, झा.स. ने राज्य की आदिम जनजातियों के लिए (जुलाई 2015) "मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना (एम.एम.आर.ए.जे.जे.पी.वाई.)" भी शुरू की।

राज्य सरकार ने भारत सरकार, 2014 के एन.एस.ए.पी. दिशा-निर्देशों के अन्य मानदंडों पर विचार करके राज्य पेंशन योजनाओं (केंद्रीय और साथ ही राज्य) के लिए एक संशोधित (सितंबर 2019) राज्य विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किए। संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत सरकार ने मासिक पेंशन दरों में वृद्धि की और **अनुच्छेद 5.3** में उल्लिखित आयु और आय समूह मानदंड में छूट दी।

5.2 संगठनात्मक ढाँचा

केंद्रीय स्तर पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी), भारत सरकार एन.एस.ए.पी. योजनाओं के कार्यान्वयन पर समग्र नियंत्रण रखता है। राज्य में एन.एस.ए.पी. सहित सभी पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी प्रधान सचिव की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, झा.स. के पास निहित है। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला स्तर पर योजना को लागू करने के लिए जिम्मेवार है। विभाग का संगठनात्मक ढाँचा **चार्ट 5.1** में दर्शाया गया है

चार्ट 5.1: महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का संगठनात्मक ढाँचा

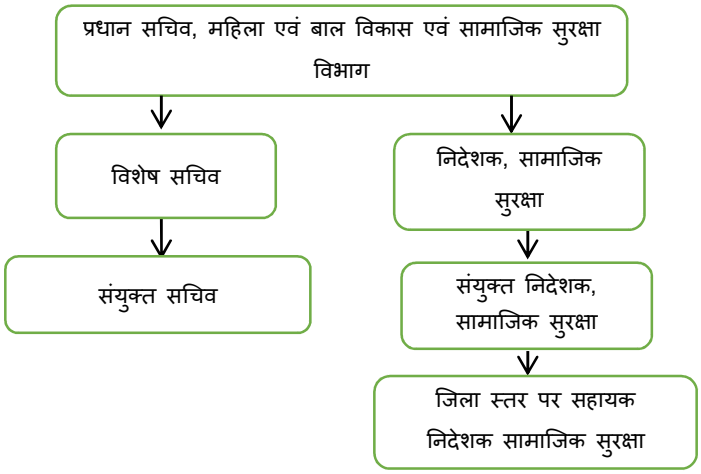

5.2.1 भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व

झा.स. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत शामिल प्राधिकारिओं के लिए निर्धारित भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व **तालिका 5.1** में वर्णित हैं

तालिका 5.1: प्राधिकारिओं की भूमिका और उत्तरदायित्व

प्राधिकारी	भूमिका और उत्तरदायित्व
निदेशक	सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को लक्ष्य का आवंटन
सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा (स.नि.सा.सु.)	• प्रखंड विकास अधिकारी (प्र.वि.अ.)/अंचल अधिकारी (अ.अ.) को लक्ष्यों का आवंटन • एन.एस.ए.पी. योजना की निगरानी • पेंशन वितरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना
अनुमंडल अधिकारी (एसडीओ)	• गलत समावेश/बहिष्करण या यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी • एन.एस.ए.पी. आवेदनों की स्वीकृति (अगस्त 2019 तक)
प्रखंड विकास अधिकारी (प्र.वि.अ.)/अंचल अधिकारी (अं.अ.)	• एन.एस.ए.पी. आवेदनों का सत्यापन और स्वीकृति (सितंबर 2019 के बाद) • लाभार्थी का वार्षिक सत्यापन • मृत्यु/प्रवास आदि के बाद एन.एस.ए.पी. डेटाबेस से लाभार्थियों के विवरण को हटाना। • एन.एस.ए.पी. लाभार्थियों के सभी डेटा की शुद्धता के लिए जिम्मेवार
ग्राम पंचायत (ग्रा.प.)	लाभार्थियों के चयन और एन.एस.ए.पी. लाभार्थियों के सत्यापन में प्रखंड कार्यालय को सहायता प्रदान करना

5.3 पात्रता मानदंड

एन.एस.ए.पी. सहायता के दो मानदंड है - एक 80 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों के लिए जो तीन योजनाओं के लिए अलग-अलग है (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस. (60 से 79 वर्ष) के लिए केंद्रीय सहायता की राशि ₹ 200 प्रति माह है, आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस. और आई.जी.एन.डी.पी.एस. के लिए ₹ 300 प्रति माह है और आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस. के तहत 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए ₹ 500 प्रति माह। सैद्धांतिक रूप से किसी भी उप-योजना के सभी लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता के उच्च स्तर के लिए 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस. (80 वर्ष और अधिक) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। भारत सरकार और झारखण्ड सरकार द्वारा बनाई गई आठ पेंशन योजनाओं में से प्रत्येक के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड **तालिका 5.2** में दिखाए गए हैं:

तालिका 5.2: पेंशन योजनाओं के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड

योजना का नाम	व्यापक पात्रता मानदंड				
	न्यूनतम आयु	श्रेणी	पेंशन राशि प्रति माह अप्रैल 2019 से प्रभावी		
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	60	बी.पी.एल	200	800	1000
	80	बी.पी.एल	500	500	1000
आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.	40	बी.पी.एल	300	700	1000

योजना का नाम	व्यापक पात्रता मानदंड				
	न्यूनतम आयु	श्रेणी	पेंशन राशि प्रति माह अप्रैल 2019 से प्रभावी		
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
आई.जी.एन.डी.पी.एस.	18	बी.पी.एल	300	700	1000
एन.एफ़.बी.एस.	-	बी.पी.एल	20000 एकमुश्त	0	20000 एकमुश्त
राज्य योजनाएँ					
एम.एम.एस.ओ.ए.पी.वाई.	60	राशन कार्ड रखने वाले व्यक्ति[29]	0	1000	1000
एम.एम.आर. वी.एस.पी.वाई.	18		0	1000	1000
एस.वी.एन.एस.पी.वाई.	05		0	1000	1000
एम.एम.आर.ए.जे.जे.पी.वाई.	-	आदिजनजाति समूह (पीटीजी)	0	1000	1000

(स्रोत: महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार)

तालिका 5.2 से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने राज्य और केंद्रीय पेंशन योजनाओं के लिए पेंशन की समान राशि प्रदान की थी, लेकिन राज्य विधवा और विकलांगता पेंशन योजनाओं के तहत न्यूनतम आयु मानदंड में छूट दी थी। राज्य की योजनाओं में उन लाभार्थियों को शामिल किया गया है जो केंद्रीय योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्य के पूर्ण कवरेज के कारण केंद्रीय पेंशन योजनाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं।

5.4 आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया

राज्य योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पात्र लाभार्थियों को अपने पेंशन आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रखंड विकास अधिकारी (प्र.वि.अ.) / अंचल अधिकारी (अ.अ.) के कार्यालय में जमा करने होंगे। संबंधित वार्ड/पंचायतों के वार्ड पार्षद/मुखिया लाभार्थियों के आवेदनों का सत्यापन करते हैं और स्वीकृति के लिए अंचल अधिकारी (शहरी क्षेत्र के लिए) और प्रखंड विकास अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) को अग्रेषित करते हैं[30]। आवेदनों की स्वीकृति के बाद, अंचल कार्यालय/प्रखंड कार्यालय पेंशनभोगियों का विवरण एन.एस.ए.पी. पोर्टल पर अपलोड करते हैं और उसके बाद संबंधित जिलों के सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा भुगतान प्रक्रिया शुरू करते हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदकों द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज (***परिशिष्ट-5.1)*** में वर्णित हैं। इसके अलावा, ऐसे आवेदनों के मामले में जो स्वीकृत/अनुमोदित नहीं हैं, उन्हें भारत सरकार (2014) द्वारा जारी एन.एस.ए.पी. दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदनों के विवरण को शामिल करने के साथ एक रजिस्टर/फाइल में रखा जाना आवश्यक है।

---

29 अन्तोदय अन्न योजना (पीला राशन कार्ड), प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड (गुलाबी राशन कार्ड) और के-ऑयल राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड)

30 सितम्बर 2019 के पूर्व अनुमंडल अधिकारी के द्वारा पेंशन आवेदन स्वीकृत किए जा रहे थे

5.5 वित्त पोषण

एन.एस.ए.पी. ढाँचे के संदर्भ में, केंद्रीय पेंशन योजनाओं के तहत, राशि को पर्याप्त बनाने के लिए राज्य अतिरिक्त अंशदान करता है। राज्य की बीपीएल आबादी के आधार पर एन.एस.ए.पी. के तहत केंद्रीय सहायता की राशि की गणना की जाती है। एम.ओ.आर.डी द्वारा प्रत्येक वर्ष दो किस्तों में योजना के अनुसार धन का वार्षिक आवंटन जारी किया जाता है। समान प्रकृति की राज्य पेंशन योजनाओं के लिए राज्य सरकार अपना बजट जारी करती है जिसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है जिन्हें एन.एस.ए.पी. के तहत लाभ नहीं मिल पाता है। केंद्रीय और राज्य दोनों योजनाओं में, *महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा* विभाग पेंशन के वितरण के लिए जिलों के सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा (स.नि.सा.सु.) को धन आवंटित करता है।

5.5.1 राज्य स्तरीय निधि आवंटन और व्यय

2017-21 की अवधि के लिए केंद्र और राज्य की विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत वर्षवार निधि की स्थिति **तालिका 5.3** में विस्तृत है:

तालिका 5.3: 2017-21 के दौरान पेंशन योजनाओं (केंद्र और राज्य) के तहत निधि का आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजना	बजट	आवंटन	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत आवंटन के सापेक्ष
2017-18	केन्द्र	960.73	927.97	863.40	64.57	6.96
	राज्य	358.58	356.42	315.85	40.57	11.38
2018-19	केन्द्र	955.18	943.33	883.14	60.19	6.38
	राज्य	383.78	485.34	453.44	31.90	6.57
2019-20	केन्द्र	1763.38	1755.40	1662.62	92.78	5.29
	राज्य	926.67	926.67	876.31	50.36	5.43
2020-21	केन्द्र	1805.25	1753.49	1677.60	75.89	4.33
	राज्य	931.78	926.61	898.08	28.53	3.08

(स्रोत: महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार)

2017-18 की तुलना में 2020-21 में राज्य पेंशन योजनाओं में निधि के उपयोग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है क्योंकि बचत 11.38 प्रतिशत से गिरकर 3.08 प्रतिशत हो गया है।

5.5.2 जिला स्तरीय निधि आवंटन एवं व्यय

नमूना जाँचित छः जिलों में, राज्य सरकार ने 2017-21 के दौरान केंद्रीय पेंशन योजनाओं को लागू करने के लिए ₹ 1,753.05 करोड़ और राज्य पेंशन योजनाओं के लिए ₹ 954.71 करोड़ आवंटित किए। केंद्रीय योजनाओं में आवंटन के सापेक्ष व्यय

में कमी का प्रतिशत 2.52 और 7.38 प्रतिशत के बीच था जबकि राज्य पेंशन योजनाओं में यह 2.45 से 7.05 प्रतिशत था ***(परिशिष्ट-5.2)***।

इसके अलावा, मार्च 2021 तक ₹ 13.58 करोड़ से ₹ 48.02 करोड़ तक की पेंशन निधि का उपयोग नहीं होने और वित्तीय वर्ष के अंत में धन की देरी से जारी होने के कारण नमूना जाँच जिलों के स.नि.सा.सु. के खाते में अनुपयोगित था।

5.6 लेखापरीक्षा आच्छादन

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2017-18 से 2020-21 तक की चार वर्षों की अवधि शामिल थी। लेखापरीक्षा ने निदेशालय, सामाजिक सुरक्षा, छः जिलों[31] के स.नि.सा.सु., के कार्यालयों के साथ 12 प्रखंडों[32] (प्रत्येक चयनित जिले में एक ग्रामीण और एक शहरी प्रखंड) और 24 ग्राम पंचायतों (प्रत्येक चयनित प्रखंड में दो पंचायतों) के अभिलेखों की जाँच के माध्यम से राज्य में पेंशन योजनाओं के कार्यान्वयन का आकलन किया जैसा कि (***परिशिष्ट-5.3 क)*** के तहत दिखाया गया है।

सामाजिक सुरक्षा विभाग, झा.स. द्वारा प्रदान किए गए एन.एस.ए.पी.[33] के डेटा डंप के विश्लेषण से ऑडिट लीड्स (राज्य / जिला स्तर) का पता चला। केंद्रीय और राज्य पेंशन योजनाओं[34] के तहत अपात्र[35] लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान: डेटा बेस में विकलांगता कॉलम में "नहीं"[36] के रूप में टिप्पणी के साथ विकलांगता पेंशन का भुगतान; विधवा पेंशन का भुगतान डेटा बेस में विधवा कॉलम में "नहीं"[37] के रूप में टिप्पणी के साथ; पेंशन आवेदन की स्वीकृति में निर्धारित 60 दिनों[38] से अधिक विलंब: एन.एस.ए.पी. योजनाओं[39] आदि के तहत एक से अधिक पेंशन का दावा करने वाला लाभार्थी जैसा कि ***(परिशिष्ट-5.3 ख)*** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा हालाँकि नमूना जाँचित प्रखंडों में एन.एस.ए.पी. के डेटा डंप विश्लेषण से प्राप्त ऑडिट लीड्स के संदर्भ में विशिष्ट पेंशन आवेदनों की जाँच नहीं कर सका

---

31 चतरा, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, हजारीबाग, पलामू और राँची

32 चतरा सदर, हंटरगंज, गोलमुरी-सह-जुगसलाई, पोटका, गोड्डा सदर, पोरैहाट, चैनपुर, मेदिनीनगर, बेडो, कांके, इचाक और हजारीबाग सदर

33 लाभार्थियों की चिह्नित आधार संख्या के साथ डेटा डंप।

34 एन.एस.ए.पी. दिशा-निर्देशों के पात्रता मानदंडों के तहत निर्धारित आयु से कम

35 राज्य स्तर: 3.45 लाख लाभार्थी, राशि ₹ 361.39 करोड़ और नमूना जिले: 1.10 लाख लाभार्थी, राशि ₹ 114.16 करोड़

36 राज्य स्तर: 77427 लाभार्थी, राशि ₹ 76. 31 करोड़ और चयनित जिले: 25557 लाभार्थी, राशि ₹ 20.90 करोड़

37 राज्य स्तर :163225 लाभार्थी, राशि ₹ 171.91 करोड़ और चयनित जिले: 52629 लाभार्थी, राशि ₹ 55.81 करोड़

38 राज्य स्तरः 65874 लाभार्थी और चयनित जिलेः 20431

39 राज्य स्तरः 155 लाभार्थी राशि ₹ 0.32 करोड़

क्योंकि 2019-20 से पहले पेंशन योजनाओं के अधिकांश आवेदन या तो प्रखंडों[40] में उपलब्ध नहीं थे या आंशिक रूप से उपलब्ध थे या अनुचित क्रम में रखा गया था जिससे इसे जाँच के लिए छांटना मुश्किल हो गया था (जैसा कि **कंडिका 5.13.4** में दर्शाया गया है)। इन परिस्थितियों में, डेटा विश्लेषण से देखी गई लेखापरीक्षा टिप्पणियां कि जाँच नहीं हो सकीं और इसने लेखापरीक्षा जाँच को केवल उपलब्ध पेंशन आवेदनों तक सीमित कर दिया।

लेखापरीक्षा ने विस्तृत जाँच के लिए 12 चिन्हित प्रखंडों में उपलब्ध अव्यवस्थित पेंशन अभिलेख में से 2400 पेंशन आवेदनों (प्रत्येक चयनित प्रखंड में 200 आवेदन) का चयन किया। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा अवलोकन:

5.7 संभावित लाभार्थियों के डेटाबेस की अनुपलब्धता

एन.एस.ए.पी. दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 3.1.3 के अनुसार, नए लाभार्थियों की पहचान के लिए ग्राम पंचायतों/नगर पालिकाओं को केंद्रीय भूमिका दी जानी चाहिए। निर्वाचित प्रमुखों और प्रतिनिधियों को एन.एस.ए.पी. के मानदंडों और प्रक्रियाओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। उपलब्ध बीपीएल सूची के आधार पर, लाभार्थियों को उनके घरों तक पहुंचकर सक्रिय रूप से पहचाना जाना चाहिए और किसी भी पात्र व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, चाहे उसका नाम बीपीएल सूची में हो या न हो।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने निदेशक, सामाजिक सुरक्षा झारखण्ड सरकार द्वारा दी गई जानकारी से देखा कि राज्य ने संभावित लाभार्थियों की पहचान के संबंध में ग्राम पंचायतों/नगर पालिकाओं को कोई निर्देश जारी नहीं किया था। इस प्रकार, सार्वभौमिक कवरेज के लिए जिला/राज्य स्तर पर पात्र लाभार्थियों का डाटा बेस नहीं रखा गया था। संभावित लाभार्थियों के पूर्ण डाटा के अभाव में, विभाग पात्र लाभार्थियों की पूर्ण संख्या से अनभिज्ञ था।

विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया (फरवरी 2023) और कहा कि राज्य ने सीमांत वर्गों के सभी पात्र लोगों, जो आयकर दाता या सरकारी पेंशन/ उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पारिवारिक पेंशन के लाभार्थी नहीं हैं यानी वृद्ध, विधवा, विकलांग, परित्यक्त महिलाओं, एचआईवी रोगियों, आदिम जनजातियों को सर्वजन पेंशन योजना के तहत कवरेज की घोषणा की है। क्षेत्र कार्यालय पात्र लोगों के अधिकतम कवरेज के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर लगातार शिविरों का आयोजन कर रहे हैं।

---

[40] **2019-20 से पहले पेंशन रिकॉर्ड की अनुपलब्धता**: कांके, मेदिनीनगर और चैनपुर प्रखंड; **2019-20 से पहले के पेंशन रिकॉर्ड की आंशिक उपलब्धता**: बेरो, पोरैयाहाट, गोड्डा सदर, गोलमुरी-सह-जुगसलाई, पोटका, हंटरगंज, चतरा सदर, इचाक और हजारीबाग सदर प्रखंड

उत्तर संभावित लाभार्थियों के डेटाबेस की अनुपस्थिति के लिए विशिष्ट नहीं था। आगे, उत्तर केवल एक कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज के संबंध में था और अन्य कार्यक्रमों के लिए की गई कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया था।

5.8 लाभार्थी कवरेज

भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को अपने नागरिकों को बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता के मामले में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। एन.एस.ए.पी. के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निराश्रित, बीपीएल व्यक्ति लक्षित समूह हैं या केंद्रीय पेंशन योजनाओं के तहत कवरेज हैं। तदनुसार, भारत सरकार चिन्हित को केंद्रीय पेंशन योजनाओं के लिए अपने लक्ष्यों को निर्धारित करती है। जबकि राज्य सरकार निराश्रित और आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को राज्य विशिष्ट पेंशन योजनाओं के लिए लक्षित समूहों के रूप में आयु मानदंड पूरा करने पर विचार करती है। हालाँकि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के राज्य के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध बजट आवंटन के अनुसार जिलों (स.नि.सा.सु.) को लक्ष्य जारी करते हैं। ये लक्ष्य आगे कवरेज के लिए स.नि.सा.सु. से प्र.वि.अ./अ.अ. को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं।

लक्ष्य के विरूद्ध प्रत्येक पेंशन योजना के तहत क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत करने के लिए संबंधित प्र.वि.प. एवं अं.अ. जिम्मेवार थे। 2017-21 के दौरान पेंशन योजनाओं के लक्ष्य और उपलब्धि नीचे **तालिका 5.4** में दर्शाई गई है:

तालिका 5.4: पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का लक्ष्य एवं उपलब्धि (कवरेज)

पेंशन योजनाएँ	2017-18		उपलब्धि प्रतिशत में	2018-19		उपलब्धि प्रतिशत में	2019-20		उपलब्धि प्रतिशत में	2020-21		उपलब्धि प्रतिशत में
	ल.	उ.		ल.	उ.		ल.	उ.		ल.	उ.	
आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.	993567	921907	93	993567	1030547	104	1014800	1032430	102	1059712	1016590	96
आई.जी.एन. डब्ल्यू.पी.एस.	272108	258499	95	272108	270271	99	272108	271933	100	275000	268537	98
आई.जी.एन.डी.पी.एस.	31286	21734	69	31286	24800	79	31286	25605	82	31286	26482	85
एम.एम.एस.ओ.ए.पी.वाई.	300000	289084	96	300000	332280	111	350000	347171	99	365000	348459	95
एम.एम.आर.वी.ए स.पी.वाई.	180000	132653	74	180000	165902	92	157000	172508	110	182000	175285	96
एस.वी.एन.एस.पी.वाई.	181853	171729	94	163163	171535	105	282958	101459	36	150000	147056	98
एम.एम.आर.ए.जे.जे.पी.वाई.	65000	39028	60	65000	50489	78	65000	52432	81	65000	53667	83

(स्रोत: म.बा.वि.एवं सा.सु. विभाग (ल. - लक्ष्य उ. - उपलब्धि))

तालिका 5.4 से स्पष्ट है कि लक्ष्यों की कम उपलब्धि के कारण लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित थे, हालाँकि 2017-21 के दौरान निधि की बचत 11.38 प्रतिशत से 3.08 प्रतिशत के दायरे में थी जैसा कि **कंडिका 5.5.1** में दिखाया गया है।

5.9 मौजूदा लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन

राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, अपात्र लाभार्थियों की छंटाई के लिए प्र.वि.अ. और अ.अ. क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

हालाँकि, नमूना जाँचित जिलों के स.नि.सा.सु. कार्यालयों में लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 2017-21 के दौरान पाँच नमूना जाँचित जिलों[41] में मौजूदा लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया गया था जबकि चतरा जिले में केवल 2019-20 के दौरान भौतिक सत्यापन किया गया था। अपात्र लाभार्थियों को पेंशन के संवितरण के उदाहरण लेखापरीक्षा में देखे गए थे जैसा कि **कंडिका 5.11** में चर्चा की गई है जो दर्शाता है कि सत्यापन अभ्यास ठीक से नहीं किया गया था।

विद्यमान लाभार्थियों के आंशिक सत्यापन के कारण मृत, विस्थापित, अपात्र लाभार्थियों की छंटाई सुनिश्चित नहीं की जा सकी जिससे इस प्रकार के लाभार्थियों को पेंशन मिलने के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता।

5.10 पेंशन के वितरण में विलंब

एन.एस.ए.पी. दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक राज्य उपयुक्त स्तर (नगर पालिका / प्रखंड स्तर) पर "मंजूरी देने वाला प्राधिकारी" नामित करेगा। राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्र.वि.अ. और अ.अ. क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में पेंशन के लिए स्वीकृत प्राधिकारी हैं। ग्राम सभा/वार्ड समिति द्वारा सत्यापित आवेदनों और सिफारिशों की प्राप्ति के बाद, स्वीकृति प्राधिकारी आवेदक और संबंधित ग्राम पंचायत/नगर पालिका को स्वीकृति प्रदान करता है। दिशा-निर्देशों में यह भी परिकल्पना की गई है कि आवेदन की स्वीकृति या उसकी अस्वीकृति का निपटान आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों[42] से अधिक नहीं होना चाहिए।

चयनित प्रखंडो/स.नि.सा.सु. में नमूना-जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने एन.एस.ए.पी. पोर्टल पर संबंधित प्रखंडों द्वारा स्वीकृत आवेदन की स्वीकृति/मंजूरी और अपलोडिंग में देरी के साथ-साथ विभाग द्वारा स.नि.सा.सु. को आवंटन जारी करने में देरी देखी, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों को पेंशन के वितरण में देरी हुई। तत्संबंधित परिचर्चा नीचे निहित है।

---

41 पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, हजारीबाग, पलामू और राँची

42 एन.एस.ए.पी. दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 3.5 में उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार, मंजूरी तक निर्धारित समय सीमा है: आवेदन जमा करने के बाद सत्यापन: 15 दिन; ग्राम सभा/वार्ड: 20 दिन; ग्राम पंचायत/नगर पालिका: 15 दिन और पेंशन की स्वीकृति: 10 दिन

i. नमूना-जाँचित प्रखंडों में आवेदनों की जाँच से पता चला कि 816 पेंशन आवेदन स्वीकृत/अनुमोदित आवेदनों की प्राप्ति और अनुशंसा[43] की तिथि से चार से 864 दिनों के बीच की देरी से हुए थे जबकि एक आवेदन में 1399 दिनों[44] की देरी हुई थी ***(परिशिष्ट-5.4 क और ख)***। देरी मुख्य रूप से सत्यापन प्रक्रिया में लगने वाले समय के कारण हुई। इसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों के बीच पेंशन के वितरण में देरी हुई जिससे आवेदकों को कठिनाई हो सकती है और नए लाभार्थियों को शामिल करने की गति बाधित हो सकती है। उत्तर में प्र.वि.अ. (पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका और गोलमुरी-सह-जुगसलाई) ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (फरवरी 2022 - मार्च 2022)। अन्य प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के जवाब अप्राप्त है।

पेंशन आवेदनों की विलंबित स्वीकृति का आयु विश्लेषण **तालिका 5.5 क और ख** में विस्तृत है:

तालिका 5.5/क: आवेदन की तिथि से पेंशन आवेदनों की विलंबित स्वीकृति/अनुमोदन

क्र.सं.	जिला का नाम	नमूना जाँचित प्रखंड का नाम	विलम्ब से स्वीकृत आवेदनों की संख्या	विलम्ब				
				30 दिन तक	31- 90 दिन	91 से 180 दिन	181 से 365 दिन	365 दिन से अधिक
1	पूर्वी सिंहभूम	पोटका	20	02	05	12	0	01
		गोलमुरी-कम-जुगसलाई	39	0	05	07	07	20
2	हजारीबाग	हजारीबाग सदर	22	05	08	03	05	01
		इचाक	47	05	14	15	7	06
3	राँची	बेडो	01	0	0	0	01	0
		कांके	114	39	09	56	10	0

तालिका 5.5/ख: अनुशंसा की तिथि से विलम्बित स्वीकृत/अनुमोदित पेंशन आवेदनों की संख्या

क्र.सं.	जिला का नाम	नमूना जाँचित प्रखंड का नाम	आवेदन की संख्या	विलम्ब				
				30 दिन तक	31- 90 दिन	91- से 180 दिन	181 से 365 दिन	365 दिन से अधिक
1.	चतरा	चतरा सदर	136	33	59	23	15	06
		हण्टरगंज	43	02	03	19	09	10
2.	पूर्वी सिंहभूम	पोटका	13	02	05	06	0	0
3.	गोड्डा	गोड्डा सदर	159	82	44	15	0	18
4.	पलामू	मेदिनीनगर	23	02	03	17	01	0
		चैनपुर	27	12	06	08	01	0
5.	राँची	बेडो	172	0	21	57	71	23

उत्तर में, विभाग ने बताया (फरवरी 2023) कि सामान्य तौर पर, एन.एस.ए.पी. पीपीएस पोर्टल में तकनीकी त्रुटियों के कारण कुछ अपवादों को छोड़कर, निर्धारित

[43] जिन आवेदनों में आवेदकों द्वारा आवेदन की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था, स्वीकृति में देरी की गणना अनुशंसा की तिथि को प्राप्ति की तिथि के रूप में मानते हुए की गई थी।

[44] विलंब का माध्यिका मान 91 से 180 दिन

समय सीमा के भीतर कार्यालय स्तर पर पेंशन के अनुमोदन में कोई देरी नहीं हुई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि संबंधित जिलों (गोड्डा, राँची, चतरा और पलामू) ने देरी को स्वीकार किया था (दिसंबर 2022 से जनवरी 2023) और लाभार्थियों द्वारा सहायक दस्तावेजों को जमा न करने, लक्ष्य के संचार में देरी, कोविड महामारी जैसे कारणों को विलम्ब का कारण बताया और आगे कहा कि वे भविष्य में सुधारात्मक उपाय करेंगे।

ii. चतरा सदर प्रखंड में, आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस. के तहत लाभार्थियों के 24 आवेदन फरवरी 2022 तक एन.एस.ए.पी पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए थे, हालाँकि इन आवेदनों को प्र.वि.अ., चतरा द्वारा दिसंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच स्वीकृत किया गया था ***(परिशिष्ट-5.5)***। आवेदन अपलोड नहीं होने के कारण 12 से 15 माह बीत जाने के बाद भी लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान नहीं हो सका है। प्र.वि.अ., चतरा से जवाब मांगने पर भी कोई जवाब नहीं मिला।

iii. नमूना जाँचित दो जिलों (पूर्वी सिंहभूम एवं गोड्डा) के चार प्रखंडों[45] में सितंबर 2019 में स्वीकृति प्राधिकारी में परिवर्तन के कारण वर्ष 2019-20 के 5078 लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृति के लिए लम्बित थे। इस प्रकार ये आवेदक इस अवधि के दौरान योजना के लाभ से वंचित रहे। संबंधित प्र.वि.अ. ने उत्तर में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (मार्च-जुलाई 2022)।

इस प्रकार, पेंशन आवेदनों के अनुमोदन/स्वीकृति में विलम्ब के कारण लाभार्थियों को समय पर पेंशन प्रदान करने का सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।.

iv. भारत सरकार के एन.एस.ए.पी. दिशा-निर्देश (2014) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं कि लाभार्थी को हर महीने पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। हालाँकि, नमूना जाँचित जिलों में स.नि.सा.सु. के कार्यालयों में अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि 2017-21 के दौरान एक से चार महीने की औसत देरी से लाभार्थियों को पेंशन का वितरण किया गया था। जिसका मुख्य कारण विभाग द्वारा स.नि.सा.सु. को आवंटन जारी करने में विलम्ब था। इस प्रकार, मासिक भरण-पोषण के लिए लाभार्थियों को आय सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लक्ष्य कमतर प्राप्त हुआ क्योंकि पेंशन मासिक आधार पर वितरित नहीं की गई थी।

उत्तर में स.नि.सा.सु. ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मार्च-अगस्त 2022) और कहा कि आवंटन की प्राप्ति में देरी के कारण संवितरण में देरी हुई।

---

[45] गोड्डा ज़िला- पोड़ैयाहाट (311) एवं गोड्डा सदर (1421); और पूर्वी सिंहभूम ज़िला - गोलमुरी-सह-जुगसलाई प्रखंड (2393) एवं पोटका प्रखंड (953)

अनुशंसा:

राज्य सरकार लाभार्थियों को पेंशन का समय पर वितरण सुनिश्चित करे।

5.11 अपात्र लभार्थी को पेंशन का वितरण

एन.एस.ए.पी. दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों की मृत्यु के मामलों लाभार्थियों के नामों को बाहर करने के लिए क्रमशः अपने संबंधित प्र.वि.अ./अ.अ. को रिपोर्ट करना ग्राम पंचायतों/नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी है। इसके अलावा, दिशा-निर्देश अपात्र लाभार्थियों की छंटाई के लिए मौजूदा लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन को भी निर्धारित करते हैं।

लेखापरीक्षा ने ग्राम पंचायतों/प्र.वि.अ. द्वारा पेंशन आवेदनों के अनुचित अनुमोदन एवं स.नि.सा.सु. की अपर्याप्त निगरानी के कारण नमूना जाँचित जिलों में मृत और अपात्र लाभार्थियों को पेंशन के वितरण के उदाहरण पाया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड में, 84 लाभार्थियों के नाम या तो बाहर नहीं किए गए थे या जुलाई 2021 तक देरी से (65 महीने तक) बाहर किए गए थे, मृत व्यक्तियों का ग्रा.प. द्वारा देरी से रिपोर्ट करने के कारण ₹ 8.50 लाख की पेंशन का वितरण किया गया था। संबंधित अधिकारी ने इस राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

  जवाब में स.नि.सा.सु., पूर्वी सिंहभूम ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मार्च 2022) और कहा कि कुछ मामले भौतिक सत्यापन के दौरान गलत रिपोर्टिंग के कारण थे और इन्हें सुधारा जाएगा। इसके अलावा देरी से रिपोर्ट करने के मामले में भुगतान की गई पेंशन पेंशनभोगी खाते को बंद करवाकर राशी वापस करवा ली जायेगी।

  उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि स.नि.सा.सु. ने मृत पेंशनभोगियों को भुगतान की गई अधिक राशि की वापसी के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी।

- दो जिलों (पूर्वी सिंहभूम और गोड्डा) के चार प्रखंडों[46] में, विधवा पेंशन योजनाओं अर्थात आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस और आर.वि.एस.पी.बाई के तहत 16 पुरुष लाभार्थियों को ₹ 9.54 लाख की पेंशन राशि वितरित की गई थी।

उत्तर में स.नि.सा.सु., गोड्डा ने टिप्पणियों को स्वीकार किया (जून 2022) जबकि स.नि.सा.सु., पूर्वी सिंहभूम ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि यह पोर्टल माइग्रेशन के कारण हो सकता है। स.नि.सा.सु., पूर्वी सिंहभूम का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अयोग्य लाभार्थी को पेंशन का वितरण मुख्य रूप से प्रखंड/जिला स्तर पर अनुचित

[46] गोड्डा जिला: पोरैयाहाट (आर.वी.एस.पी.वाई.: 01), गोड्डा सदर (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.: 04); पूर्वी सिंहभूम जिला: पोटका (आई.जी.डब्ल्यू.पी.एस.: 06) और घाटशिला (आई.जी.डब्ल्यू.पी.एस.: 05 और आर.वि.एस.पी.वाई. 02)

सत्यापन/निगरानी के साथ पेंशन आवेदनों की स्वीकृति के कारण हुआ। कुछ लाभार्थियों के चित्र ***(परिशिष्ट-5.6)*** में दर्शाए गए हैं।

- दो नमूना जाँचित जिलों (पूर्वी सिंहभूम और गोड्डा) के तीन प्रखंडों (पोरैयाहाट, गोड्डा सदर और पोटका प्रखंड) में आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस. और आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस. के तहत 55 लाभार्थियों[47] को ₹ 31.69 लाख (दिसंबर 2021 तक) की पेंशन की अनुमति दी गई थी, हालाँकि उन्होंने न्यूनतम आयु मानदंड को पूरा नहीं किया था।

जवाब में स.नि.सा.सु., गोड्डा ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जून 2022) जबकि स.नि.सा.सु., पूर्वी सिंहभूम ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि मामले को संबंधित मंजूरी प्राधिकारी को भेजा जा रहा है।

विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2023) कि पेंशन पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार कोई कम उम्र का मामला नहीं देखा गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि लेखापरीक्षा ने संबंधित लाभार्थियों के आवेदनों के साथ प्रस्तुत आधार से लाभार्थियों की आयु का सत्यापन किया था, क्योंकि पोर्टल में आयु के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज दर्ज नहीं थे।

5.12 लाभार्थी को एक से अधिक पेंशन का भुगतान

पेंशन योजनाओं (केंद्रीय और साथ ही राज्य) के लिए राज्य के दिशा-निर्देशों[48] के प्रावधानों के अनुसार, एक लाभार्थी को एक समय में केवल एक पेंशन की अनुमति है। एन.एस.ए.पी. दिशा-निर्देशों (प्रावधान 3.1.3 और 3.2) के अनुसार लाभार्थियों की पहचान करना ग्राम पंचायतों/नगर पालिकाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी है। नए लाभार्थियों की पहचान के लिए, ग्राम पंचायतों/नगर पालिकाओं को एन.एस.ए.पी. के मानदंडों और प्रक्रियाओं पर संवेदनशील होना चाहिए। उपलब्ध बीपीएल सूची के आधार पर, लाभार्थियों को उनके घरों तक पहुंचकर सक्रिय रूप से पहचाना जाना चाहिए। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम बीपीएल सूची में नहीं है तो उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य उचित स्तर - नगर पालिका / प्रखंड स्तर पर "मंजूरी देने वाला प्राधिकरण" नामित करेगा। राज्य के दिशा-निर्देशों ने

---

[47] पोरैयाहाट (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.:01 और आई.जी.डब्ल्यू.ए.पी.एस.:01), गोड्डा सदर (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.:04); और पोटका प्रखंड (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.:47 और आई.जी.डब्ल्यू.ए.पी.एस.:02)

[48] झा.स. के संकल्प संख्या 2215 दिनांक 16.09.2019 के खंड 2.3 के उप-खंड VI (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस., आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.) और झा.स. संकल्प संख्या 2214 दिनांक 16.09.2019 के खंड 2.3 के उप-खंड VIII (आई.जी.एन.डी.पी.एस.)। झा.स. संकल्प संख्या 2208 दिनांक 16.09.2019 के खंड 2.4 के उप-खंड VI (एस.एस.ओ.ए.पी.एस., एस.एस.ओ.डब्ल्यू.पी.एस.)।

प्र.वि.प/अ.अ.[49] को पेंशन आवेदनों की स्वीकृति के लिए स्वीकृति प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किया साथ ही अपात्र लाभार्थियों के नामों की छंटाई के लिए भी अधिकृत किया।

एन.एस.ए.पी. के डाटाबेस के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि एक ही नाम, पिता/पति का नाम, बैंक खाता, पता और आधार के अंतिम चार अंकों को ध्यान में रखते हुए राज्य में 140 लाभार्थी एक से अधिक योजनाओं से पेंशन प्राप्त कर रहे थे।

आगे, गोड्डा जिले के दो नमूना जाँचित प्रखंडों में यह देखा गया कि 16[50] लाभार्थियों को दो या दो से अधिक उप-योजनाओं ***(परिशिष्ट-5.7)*** से पेंशन मिल रही थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें उक्त अवधि के दौरान ₹ 3.15 लाख की अस्वीकार्य पेंशन का भुगतान किया गया था। यह इस बात का धोतक है कि संबंधित प्रखंड विकास अधिकारियों द्वारा पेंशन आवेदनों को स्वीकृत करते समय उन लाभार्थियों को छांटने में उचित सावधानी नहीं बरती गई जिन्हें योजनाओं का दोहरा लाभ मिल रहा था।

उत्तर में स.नि.सा.सु., गोड्डा ने उत्तर दिया (जून 2022) कि मामले की जाँच की जाएगी और तदनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

अनुशंसा:

योजना के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए आवेदनों की पात्रता के सत्यापन के साथ-साथ भुगतान के लिए निगरानी और नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। साथ ही पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए।

5.13 निगरानी और मूल्यांकन

कार्यक्रम संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन आवश्यक है ताकि समय सीमा के भीतर वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। चूँकि सरकारी कार्यक्रमों को लंबी अवधि और विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वित किया जाता है, इसलिए एक मजबूत और प्रभावी कार्यक्रम निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली का होना अनिवार्य है। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित देखा:

5.13.1 राज्य एवं जिला स्तरीय समिति का गठन न होना

एन.एस.ए.पी. दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 3.6.1 के अनुसार, एन.एस.ए.पी. के कार्यान्वयन, समीक्षा और मूल्यांकन के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन करना राज्य की जिम्मेदारी है।

---

[49] सितंबर 2019 से पेंशन आवेदनों की स्वीकृति के लिए प्र.वि.अ./अ.अ. को जिम्मेवार बनाया गया था। उस अवधि से पहले अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदनों की स्वीकृति के लिए अधिकृत किया गया था।

[50] गोड्डा सदर: 02 और पोड़ैयाहाट: 14

लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारित राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन नहीं किया गया था। हालाँकि, मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव/विभागीय सचिव/निदेशक द्वारा विभिन्न बैठकों के माध्यम से एन.एस.ए.पी. योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा/निगरानी की गई और इन बैठकों के माध्यम से आधार सीडिंग, लक्ष्य प्राप्ति आदि से संबंधित निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी किए गए।

5.13.2 अपर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र

एन.एस.ए.पी. दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं कि राज्य को ग्रा.प./नगरपालिका/जिला स्तर पर एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना चाहिए। राज्य को शिकायतों से निपटने के लिए समय-सीमा तय करनी चाहिए और एक अधिकारी को नामित करना चाहिए जिसे शिकायतों को संबोधित किया जा सके। इसके अलावा, नामित अधिकारी को प्राप्त शिकायतों, की गई कार्रवाई और परिणाम का अभिलेख रखना होता है और शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करना होता है।

नमूना जाँच की गई ग्राम पंचायतों/नगर पालिकाओं में शिकायतों की निगरानी के लिए लेखापरीक्षा कोई संस्थागत तंत्र नहीं पाया क्योंकि उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए कोई अभिलेख/ पंजी नहीं बनाए जा रहे थे। तथापि, चतरा जिले में स.नि.सा.सु. द्वारा शिकायतों का रजिस्टर संधारित किया गया था परन्तु शिकायत का निस्तारण पंजी में दर्ज नहीं किया गया था। इस प्रकार, शिकायत निवारण अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा लाभार्थियों द्वारा सामना की जा रही शिकायतों और समस्याओं का पता नहीं लगा सकी।

5.13.3 सामाजिक अंकेक्षण का अभाव

एन.एस.ए.पी. दिशा-निर्देश (केंद्रीय और साथ ही राज्य) निर्धारित करते हैं कि ग्राम सभा/वार्ड समिति द्वारा प्रत्येक छः महीने में कम से कम एक बार योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना चाहिए और प्रत्येक सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभा/वार्ड समिति को एक सामाजिक अंकेक्षण समिति का चुनाव करना होता है। एन.एस.ए.पी. के तहत प्रत्येक योजना से कम से कम दो लाभार्थियों वाली समिति, जिनमें से एक महिला होगी। सामाजिक अंकेक्षण समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार ने सामाजिक अंकेक्षण के संचालन के संबंध में कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किया है, और किसी भी नमूना जाँच जिले में 2017-21 के दौरान एन.एस.ए.पी. योजनाओं से संबंधित कोई सामाजिक अंकेक्षण नहीं की गई थी जिससे योजनाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से शासन के निचले स्तर पर नहीं किया जा सका। संबंधित स.नि.सा.सु. द्वारा सामाजिक अंकेक्षण न करने के संबंध में कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया गया था।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और उत्तर दिया (फरवरी 2023) कि एन.एस.ए.पी. के दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा राज्य लेखापरीक्षा इकाई (मनरेगा) द्वारा की जानी है तथा ग्रामीण विकास विभाग, झा.स. से एन.एस.ए.पी. का सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु अनुरोध (जनवरी 2023) किया गया है।

अनुशंसा:

योजनाओं की पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण निर्धारित अंतराल में आयोजित किए जाने चाहिए।

5.13.4 अभिलेखों का रखरखाव

एन.एस.ए.पी. दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी आवेदनों की छायाप्रति वाली एक संचिका, आवेदनों की प्राप्ति दर्ज करने वाली पंजी, स्वीकृति आदेश और अस्वीकृति को संबंधित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए सुलभ रखा जाएगा।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि पेंशन आवेदन (2017-21) को उचित क्रम में नहीं रखा गया था और केवल बंडल बनाकर संग्रहीत किया गया था जिससे जाँच के लिए आवेदनों को छांटना मुश्किल हो गया था। यह भी देखा गया कि सत्यापन के लिए प्राप्त आवेदनों पर सत्यापन अधिकारियों का कोई नियंत्रण नहीं था और वे प्राप्त और निपटाए गए आवेदनों को अभिलेखित करने के लिए कोई पंजी भी नहीं रख रहे थे।